राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प 32(बी)(1)आब/एल/2019–2020/4200 दिनांक :– 13 .04..2019

पड़त देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि वर्ष 2019–20 हेतु राज्य के कुछ जिलों में पडत रही देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों की वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि एवं कम्पोजिट फीस की मूल राशि में अधिकतम 20 प्रतिशत की कमी की जाकर वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है।

1. पडत रही देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों की सूची/विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट **https://rajexciselottery2019-20.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
2. समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट **https://rajexciselottery2019-20.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** द्वारा स्वीकार किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। आवेदक द्वारा सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
3. आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से (Round the Clock) भरे जा सकते हैं।
4. यदि किसी आवदेक को ऑनलाईन फार्म भरने में कोई असुविधा हो रही हो तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जाकर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
5. इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध समूहों/दुकानों बाबत सूचना एवं समूहों/दुकानों की सूची विभागीय वेबसाईट **https://rajexciselottery2019-20.org** पर उपलब्ध है।
6. ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट **https://rajexciselottery2019-20.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** पर दिनांक 14.04.2019 से 16.04.2019 को सायं 6.00 पी.एम. तक भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।
7. विशेषतः जिस दुकान/दुकानों के समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकानों के समूह के लिये अमानत राशि शून्य होकर केवल आवेदन शुल्क ही जमा कराना आवश्यक है।
8. एक समूह/दुकान के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग–अलग समूह/दुकान के लिये एक एवं एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non refundable) होगा।
9. एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/दुकान समूह आवंटित नहीं किये जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकानों/दुकान समूहों हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किये जायेंगे जिसके लिए सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हों। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किये जायेंगे जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो।

10. **आवेदन शुल्क इन्टरनेट बैंकिग/ई–मित्र/ई–ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराये जा सकते हैं।**

11. ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जा सकेगा।

12. आवेदन शुल्क का इन्टरनेट बैंकिग एवं ई–मित्र से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदकों के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड कॉपी को ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिवस अथवा 17.04.2019 को 6 पीएम, जो भी पहले हो, तक आवेदन शुल्क के चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

13. इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से **किसी एक दस्तावेज की स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।**

14. किसी दुकान/दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 18.04.2019 को प्रातः 11.00 ए.एम. से** जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी।

15. देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

क.स.	श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
1	वर्ष 2019–2020 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	23000/–
2	वर्ष 2019–2020 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	28000/–

16. जिन आवेदन पत्रों के साथ आवेदन शुल्क एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है, उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।

17. आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2019–2020 (दिनांक 1–4–2019 से दिनांक 31–3–2020) के लिये होगी।

18. आवेदन आमत्रंण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट https://rajexciselottery2019-20.org पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु मुख्यालय स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री नम्बर 1800–180–6436 एवं सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

13/4/19

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर